रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14102026-277146
CG-DL-E-14102026-277146

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 808] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 13, 2026/आश्विन 21, 1948
No. 808] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 13, 2026/ASVINA 21, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2026

सा.का.नि. 879(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारुप नियम, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 24 जुलाई, 2026 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 663(अ), तारीख 23 जुलाई, 2026 द्वारा, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप या सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किए गए थे ;

और, उक्त अधिसूचना की प्रतियां, 24 जुलाई, 2026 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और, केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों एवं सुझावों पर विचार किया गया है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 64 और धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (तेरहवां संशोधन) नियम, 2026 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 62 के उपनियम (1) में,--

(i) खंड (खक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(खख)	दो पहिया सड़क एम्बुलेंस के संबंध में फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण	दो वर्ष";

(ii) पहले परंतुक के खंड (ii) की सारणी में, क्रम संख्यांक 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियाँ अंत:स्थापित की जाएंगी अर्थात् :—

क्र .सं.	मद	फिटिंग चेक करना	मूल उपकरण अनुशंसाओं के अनुसार चेक करना/ टाइप/रेटिंग आदि	स्थिति की जांच	कार्य-प्रणाली की जांच	परीक्षण	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
"(26)	दो पहिया सड़क एम्बुलेंस सहायक सामग्री/ रोगी इकाई सुरक्षित रूप से स्थापित	हां	हां	हां	हां	नहीं	एम्बुलेंस सहायक इकाई या रोगी वहन इकाई को आधार यान पर सुरक्षित रूप से लगाया जाना चाहिए । सभी माउंटिंग ब्रैकेट, फास्टनर्स, और संरचनात्मक सदस्यों का निरीक्षण किया जाना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई ढीला बोल्ट, दरार, विरूपण या संरचनात्मक क्षति के कोई संकेत नहीं हैं, जो संचालन के दौरान सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं।
(27)	दो पहिया सड़क एम्बुलेंस टायर और	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	वाहन के टायर, पहिए और रिम, जिसमें पार्श्व-माउंटेड एम्बुलेंस इकाई के

	रिम) पार्श्व इकाई सहित(						टायर, पहिए और रिम भी शामिल हैं, का निरीक्षण किया जाएगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अच्छी स्थिति में हैं और कट, उभार, अत्यधिक घिसाव या क्षति से मुक्त हैं। टायरों को सही ढंग से फिट किया जाना चाहिए और पर्याप्त रूप से हवा भरी जानी चाहिए जिससे यान की स्थिरता सुनिश्चित हो सके।
(28)	दो पहिया सड़क एम्बुलेंस आपात-कालीन चेतावनी लाइटें	हां	हां	हां	हां	नहीं	आपातकालीन चेतावनी लाइट) लाइटें(, जैसे कि यान पर प्रदान की गई बीकन लैंप या फ्लैशिंग लाइट, उचित कामकाज के लिए जांच की जानी चाहिए। चेतावनी लाइट सुरक्षित रूप से स्थापित की जानी चाहिए और जब यान का उपयोग आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए किया जाता है तो संचालित करने में सक्षम होनी चाहिए।
(29)	दो पहिया सड़क एम्बुलेंस रोगी स्ट्रेचर	हां	हां	हां	हां	नहीं	रोगी स्ट्रेचर यान पर विद्यमान होना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए इसका निरीक्षण किया जाना चाहिए कि यह ठीक से लगा हुआ है और सुरक्षित रूप से फंसा हुआ है। स्ट्रेचर में क्षति या अस्थिरता के कोई संकेत नहीं दिखने चाहिए जो रोगी की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं।
(30)	दो पहिया सड़क एम्बुलेंस स्ट्रेचर अंतर्वंधन तंत्र	हां	हां	हां	हां	नहीं	स्ट्रेचर के अंतर्वंधन तंत्र की जाँच की जानी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यह सुरक्षित रूप से जुड़ता है और रोगी के पारगमन के दौरान स्ट्रेचर

							की अनपेक्षित गति को रोकता है।
(31)	दो पहिया सड़क एम्बुलेंस रोगी अवरोध प्रणाली	हां	हां	हां	हां	नहीं	स्ट्रेचर पर प्रदान की गई बेल्ट या पट्टियों सहित रोगी अवरोध प्रणाली का निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि वे विद्यमान हैं, अक्षुण्ण हैं और कार्यात्मक हैं। अवरोध यान की गति के दौरान रोगी को सुरक्षित रूप से रोकने में सक्षम होना चाहिए ।
(32)	दो पहिया सड़क एम्बुलेंस लदाई/ उतराई प्रणाली	हां	हां	हां	हां	नहीं	रोगी स्ट्रेचर के लिए लदाई और उतराई प्रणाली को सुचारू संचालन के लिए जांचा जाना चाहिए। रोगी को लादने और उतारते समय कोई जैमिंग, अत्यधिक बल की आवश्यकता या अस्थिरता नहीं होनी चाहिए।
(33)	दो पहिया सड़क एम्बुलेंस अग्नि-शामक	हां	हां	हां	हां	नहीं	यान उपयुक्त प्रकार के अग्निशामक यंत्र से सुसज्जित होना चाहिए। अग्निशामक यंत्र सुरक्षित रूप से लगाया जाना चाहिए, आसानी से सुलभ होना चाहिए और निरीक्षण के समय इसकी वैधता अवधि के भीतर होना चाहिए ;

(iii) दूसरे परंतुक में, सारणी का लोप किया जाएगा ।

3. उक्त नियमों के नियम 108 में, उपनियम (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(8) 1 जनवरी, 2027 को और उसके पश्चात्, दो पहिया सड़क एम्बुलेंस पर लगी शीर्ष लाइटें, समय-समय पर यथासंशोधित, एआईएस:209 (भाग 1) - 2026 के अनुसार होंगी ।"

4. उक्त नियमों के नियम 112 में, उपनियम (9) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(10) 1 अक्टूबर, 2027 को और उसके पश्चात्, एल2 श्रेणी की दो पहिया सड़क एम्बुलेंस, समय-समय पर यथासंशोधित, एआईएस:209 (भाग 1):2026 के अनुसार होगी :

परंतु ऐसी दो पहिया सड़क एम्बुलेंस राज्य सरकार द्वारा तय किए गए क्षेत्र में चलने के लिए पंजीकृत की जाएगी ।"।

5. उक्त नियमों में, नियम 125च को उपनियम (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन:संख्यांकित उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(2) 1 अक्टूबर, 2027 को और उसके पश्चात् निर्मित एल 2 श्रेणियों की दो पहिया सड़क एम्बुलेंस, समय-समय पर यथासंशोधित, एआईएस:209 (भाग 1):2026 के अनुसार होंगी :

परंतु ऐसी दो पहिया सड़क एम्बुलेंस को केवल राज्य सरकार द्वारा तय किए गए क्षेत्र में चलने के लिए पंजीकृत किया जाएगा ।"।

[फा. सं. आर.टी.-11036/191/2025 –एम.वी.एल.]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण : मुख्य नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 के अधीन प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन सा.का.नि. 712 (अ), तारीख 28 जुलाई, 2026 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2026

G.S.R. 879(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways vide number G.S.R 663(E), dated the 23rd July, 2026, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated 24th July, 2026, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date of which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on 24th July, 2026;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 64 and section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:—

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Thirteenth Amendment) Rules, 2026.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereafter referred as the said rules), in rule 62, in sub-rule (1),

(i) In the Table, after item (ba), The following item shall be inserted, namely:-

"(bb)	Renewal of certificate of fitness in respect of two wheeled road ambulance	Two Years";

(ii) In the first proviso in clause (ii), in the Table, after serial number 25 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted namely:-

Sl. No.	Item	Check Fitment	Check make/ type/ rating, etc. as per original equipment recommendations	Check conditions	Check functioning	Test	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
“(26)	Two-Wheeled Road Ambulance accessory / patient unit securely mounted	Yes	Yes	Yes	Yes	No	The ambulance accessory unit or patient conveyance unit shall be securely mounted to the base vehicle. All mounting brackets, fasteners, and structural members shall be inspected to ensure that there are no loose bolts, cracks, deformation, or signs of structural damage that may affect safety during operation.
(27)	Two Wheeled Road Ambulance Tyres & rims (including side unit)	Yes	Yes	Yes	No	No	The tyres, wheels and rims of the vehicle, including those of the side-mounted ambulance unit, shall be inspected to ensure that they are in good condition and free from cuts, bulges, excessive wear or damage. The tyres shall be correctly fitted and adequately inflated so as to ensure stability of the vehicle.
(28)	Two Wheeled Road Ambulance Emergency warning lights	Yes	Yes	Yes	Yes	No	The emergency warning light(s), such as beacon lamp or flashing light provided on the vehicle, shall be checked for proper functioning. The warning lights shall be securely mounted and capable of being operated when the vehicle is used for emergency response.
(29)	Two Wheeled Road Ambulance Patient stretcher	Yes	Yes	Yes	Yes	No	The patient stretcher shall be present on the vehicle and shall be inspected to ensure that it is properly mounted and securely fixed. The stretcher shall not show signs of damage or instability that could compromise patient safety.
(30)	Two Wheeled Road Ambulance Stretcher locking mechanism	Yes	Yes	Yes	Yes	No	The locking mechanism of the stretcher shall be checked to ensure that it engages securely and prevents unintended movement of the stretcher during transit of the patient.
(31)	Two Wheeled Road Ambulance Patient restraint system	Yes	Yes	Yes	Yes	No	The patient restraint system, including belts or straps provided on the stretcher, shall be inspected to ensure that they are present, intact and functional. The restraints shall be capable of securely restraining the patient during vehicle movement.
(32)	Two Wheeled Road Ambulance Loading / unloading mechanism	Yes	Yes	Yes	Yes	No	The loading and unloading mechanism for the patient stretcher shall be checked for smooth operation. There shall be no jamming, excessive force requirement or instability during loading or unloading of the patient.
(33)	Two Wheeled Road Ambulance	Yes	Yes	Yes	Yes	No	The vehicle shall be equipped with a fire extinguisher of suitable type. The fire extinguisher shall be securely mounted, easily accessible and within its validity period at the

	Fire extinguisher						time of inspection;”

(iii) In the Second proviso, Table shall be omitted.

3. In the said rules, in rule 108, after sub-rule (7), the following new sub-rule shall be inserted, namely:-

“(8) On and after the 1st January, 2027, the top lights fitted on two wheeled road ambulances shall be in accordance with AIS:209 (Part 1) – 2026 as amended from time to time.”.

4. In the said rules, in rule 112, after sub-rule (9), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(10) On and after the 1st October 2027, two wheeled road ambulance of L2 category shall be in accordance with AIS:209 (Part 1):2026 as amended from time to time;

Provided that such two wheeled road ambulance shall be registered to ply in an area as decided by the State Government”.

5. In the said rules, rule 125-F, shall be renumbered as sub-rule (1) and after sub-rule (1) as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(2) Two Wheeled Road Ambulances of L2 categories manufactured on and after the 1st October, 2027, shall be in accordance with AIS:209 (Part 1):2026 as amended from time to time;

Provided that such two wheeled road ambulance shall be registered to ply in an area only as decided by the State Government”.

[F. No. RT-11036/191/2025 -MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section(i) vide G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide G.S.R. 712(E) dated the 28th July, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. BHABAJIT DEKA Digitally signed by BHABAJIT DEKA Date: 2026.10.14 22:22:51 +05'30'